न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 70/2016

अपीलांट्स–

1. नवलाराम पुत्र वनाराम
2. मालाराम पुत्र वनाराम
3. जोगाराम पुत्र वनाराम
4. हेमाराम पुत्र वनाराम
5. मेहाराम पुत्र चैनाराम

जाति जाट निवासी कपूरड़ी
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. राजवेस्ट पावर लिमिटेड जरिये उप महाप्रबन्धक श्री दिलीप नारवानी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 13.01.2016 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 8/2015 बनअनवान राजवेस्ट पावर लिमिटेड बनाम नवलाराम व अन्य मे पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।
3. राजकीय पैरोकार रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03/07/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह राजस्व अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण स. 8/2015 अनवान राजवेस्ट पावर लि0 बनाम नवलाराम व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 13.01.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई है।

2. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 राजवेस्ट पॉवर लिमिटेड जरिये श्री दिलीप डी नारवानी उप महाप्रबंधक द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम ईश्वरपुरा के खसरा नम्बर 162/88 रकबा 15–03 बीघा का नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हलका पटवारी से रिपोर्ट ली गई एवं हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.01.2016 पारित कर रेसपोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेज के आधार पर ग्राम ईश्वरपुरा के खसरा नम्बर 162/88 रकबा 15–03 बीघा का नामान्तरकरण रेसपोडेन्ट संख्या 01 राजवेस्ट पॉवर लिमिटेड के नाम दायर करने के आदेश दिए। इस आदेश व्यथीत होकर अपीलांट्स ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 05 मयाद अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए।

3. अपीलांट्स की अपील को मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार बाड़मेर से अपीलाधीन अभिलेख प्राप्त कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों को सुना। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 162/88 रकबा 15–03 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 01 से 04 का, 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 05 का एवं 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 01 से 04 की दादी व अपीलकर्ता संख्या 05 की माता श्रीमती भीखी देवी का विधि अनुसार बनता था। अपीलकर्ता संख्या 05 द्वारा अपना 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान कर दिया। इसी प्रकार अपीलकर्ता संख्या 05 की माता श्रीमती भीखी द्वारा भी अपना 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में बैचान कर दिया। इसके अलावा शेष रही 1/3 हिससे की भूमि में अपीलकर्ता संख्या 01 से 04 के साथ उनकी माता का नाम भी राजस्व अभिलेख में अंकित था तथा अपीलकर्ता संख्या 01 से 04 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में किये जाने पर उनकी माता का हिस्सा शेष रह गया था जो बेचान नहीं हुआ था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को गुमराह कर सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरकरण अपने नाम कराने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया। इस प्रकार उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

5. अपीलकर्तागण के योग्य अधिववक्ता ने यह भी प्रकट किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा अपीलकर्तागण को प्रकरण में काई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न ही

जिला कलक्टर
बाडमेर

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलकर्तागण के नाम जारी नोटिस की पुश्त पर मात्र इबारत "आसामी खुद मिली, नोटिस पढ़कर सुनाया, नोटिस तामिल करने से इनकार किया, नोटिस अदम पेश है" के आधार पर तलबी मानते हुए अपीलाधीन कार्यवाही सम्पन्न कर आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। जिस भी अपीलकर्तागण को यथा समय जानकारी नही होने से यह अपील देरी से पेश की गयी है जो जानकारी होने की तिथि से अन्दर मयाद शुमार कर स्वीकार की जावें।

6. रेस्पोडेंट्स संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से उपस्थित राजकीय पैरोकार ने जवाब में प्रकट किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जॉच एवं हलका पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने का अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामान्तरकरण के बाबत् धारा 135 (2) के तहत पक्षकारान की सुनवाई एवं समुचित जॉच उपरांत अपीलाधीन आदेश भू-अभिलेख अधिकारी के रूप में पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार निदेशक भू-अभिलेख को होने से हस्तगत अपील पर इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पूर्ण कर अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक या वाक्याती त्रुटी नहीं होने से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर खारिज योग्य है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा ईश्वरपूरा के खसरा नम्बर 162/88 रकबा 15-03 बीघा भूमि का नामान्तंरकरण पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के आधार पर जॉच एवं हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर दायर करने का अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत विवादित नामान्तरकरण के बाबत् पारित किया गया है जो उपधारा 02 के दायरे में आता है। प्रथम तो यह अपील मयाद बाहर है तथा विलम्ब के बाबत् कोई ठोस कारण भी प्रकट नहीं किये है, दोयम यह अपील इस न्यायालय के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

श्रवण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भी नहीं है। जहॉ तक प्रकरण में मेरिट का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस जारी किये गए, जो लेने से इनकार होने पर तामिल मानते हुए कार्यवाही सम्पन्न की गई है। अपीलकर्ता संख्या 01 से 04 की माता लासी की मृत्यु दिनांक 25.12.2011 को हुई है जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण किये बिना अपीलकर्ता संख्या 01 से 04 ने हिस्सा 01/03 सम्पूर्ण का बेचान दिनांक 30.11.2012 को किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता संख्या 01 से 04 की माता लासी की मृत्यु होने पर उसका हिस्सा वारीसान (अपीलकर्ता संख्या 01 से 04) में निहित हो गया तथा उनके द्वारा अपनी माता का हिस्सा अपने मे निहित होना मानते हुए बेचान कर लिया गया। अपीलकर्तागण रेकर्ड मे मृतका लासी के नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर पुनः क्लेम कर रहे है जबकि स्वंय उनके द्वारा ही बेचान कर लिया गया था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण की जांच एवं सुनवाई के दौरान अपीलकर्तागण जानबूझकर उपस्थित नही हुए तथा इस अपील के जरिये हिस्सा बेचान से शेष होना प्रकट करते हुए अपने नाम दर्ज करने का दावा कर रहे है जो कि विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से कतई न्यायोचित नही है। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत की गई यह अपील मयाद एवं मेरीट के दोनो ही पहलुओं पर विफल होने तथा झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील मयाद बाहर होने एवं मेरीट पर भी कमजोर होने से खारिज की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा ईश्वरपुरा के खसरा नम्बर 162/88 रकबा 15–03 बीघा का नामान्तरकरण रेस्पोडेंट सं. 1 के पक्ष मे दायर करने हेतु पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर